ई-मेल द्वारा

एचओ/डीओएस/डीएके/2026/05181
24 मार्च, 2026

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियाँ

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक को प्राइम लेंडिंग रेट/बेंचमार्क दरों की मासिक रिपोर्टिंग पर परामर्श

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण) निर्देश, 2025 के अनुसार, *"किसी एनबीएफसी का बोर्ड, फंड की लागत, मार्जिन और रिस्क प्रीमियम जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर मॉडल अपनाएगा, और ऋणों तथा अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज दर निर्धारित करेगा।"* इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियाँ) निर्देश, 2025 के पैरा 239 के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है।

फ्लोटिंग दर सावधि ऋण की कीमत निर्धारण के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राइम लेंडिंग रेट/बेंचमार्क दरों की निगरानी को बढ़ाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आवास वित्त कंपनियों को मासिक आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक को प्राइम लेंडिंग रेट/बेंचमार्क दरों पर घटक-वार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

संलग्न प्रारूप के अनुसार आवश्यक जानकारी राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक ई-मेल के माध्यम से तब तक प्रस्तुत की जाएगी जब तक कि मासिक रिटर्न के एक भाग के रूप में उक्त रिटर्न के एकीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नहीं की जाती है।

इस परामर्श के प्रावधान 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

सौरभ शील

(सौरव सील)
महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न: उपर्युक्तानुसार